अनुवाद प्रतियोगिता

भारत सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
आंध्रप्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद
'सी' ब्लाक, 10 वीं तल, आयकर शिखर
10-2-3, ए.सी. गाड्र्स, हैदराबाद - 500 004

GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad
'C' Block, 10th Floor, IT Towers,
10-2-3, A.C.Guards, Hyderabad – 500 004.

(हिंदी भाषियों के लिए)*

(*परिपत्र फा.सं.प्र.मु.आ.आ.है्द/राभा7(11)/हि.दिवस/2020-21 दिनांक: 07.09.2020 के अनुसार)

दिनांक : 17.09.2020 **समय : दोपहर 12.00 - 01.00 बजे**

अंक : 50

1. **निम्नलिखित अनुच्छेदों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें ।**
2. **मूल्यांकनकर्त्ता का निर्णय अंतिम माना जायेगा ।**
3. **उत्तर पुस्तिका प्रतियोगिता समाप्ति के आधे घंटे के भीतर hyderabad.cit.admin.tps@incometax.gov.in पर अपलोड किये जाने पर ही उसे वैध माना जाएगा ।**
4. **उत्तर पुस्तिका में प्रतियोगी का नाम, पदनाम, सेल नंबर, बैंक खाता संख्या, शाखा और आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है ।**

---

1. The faceless assessment scheme is a radically different way on conducting scrutiny assessments. There are 3 main objectives of the scheme

    1. Eliminate direct interface between taxpayer and assessing officers
    2. Team based assessment rather than a single person in charge of framing the order
    3. Dynamic jurisdiction – potentially, any assessing officer in India can scrutinize any case assigned randomly to him/her. No need for a fixed jurisdiction for the same case.

The assessee does not know who is the assessing officer in faceless assessment as all notices are served by a nodal authority, namely the NeAC (National e-Assessment Center). All submissions have to be compulsorily filed online. Since the assessee does not know the assessing officer and there is no direct communication between the two, the chances of unethical practices is also curbed. The cases are picked by the computer based on risk parameters. All cases except the cases assigned to Central Charges, International Taxation charges are eligible for faceless assessments .Once the case is selected for scrutiny, the notice for the same will be sent by NeAC, along with the reasons for selection. The taxpayer may file response online within 15 days. After that, the case will be randomly assigned to an assessment unit in the ReAC (Regional e-Assessment Center). When the assessing officer drafts an assessment order, it will be submitted to NeAC. The draft assessment order is reviewed by a review team, especially if it is prejudicial to the assessee, before passing of the order. If the draft order is prejudicial to the assessee, an opportunity will be given to the assessee to file a response. The assessee may also opt for a personal hearing, The personal hearing will be through video conferencing. The recording of statement will also be done by video conferencing by the verification unit. The order will be finalized by NeAC after the above steps. Thus, there is a team based assessment and elimination of physical interface between the taxpayer and the assessing officer.

2. संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों में अहम विधेयक पास हुए । राज्य सभा में वायुयान संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस तरह इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोक सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद विमान सेवाओं को और प्रभावी बनाना आसान होगा ।

कोविड महामारी के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग शब्द का प्रयोग आम हो गया है। राज्य सभा में सांसद सांतनु सेन ने इसकी जगह फिजिकल डिंस्टेंस या किसी अन्य शब्द का प्रयोग करने की मांग की। सभापति ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सदन में कहा कि सोशल डिस्टेंस शब्द में सोशल शब्द की बजाय सुरक्षित दूरी या कोई अन्य शब्द का प्रयोग किया जाए, हालांकि उन्होंने कहा कि यह देखना सरकार का काम है। राज्य सभा में शून्यकाल के दौरान कोलावरम प्रोजेक्ट का भी मुद्दा उठा जिस पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार उस मामले में लगातार नजर बनाए हुए है। इसके अलावा सदन में मनरेगा और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे भी उठे। वहीं लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम विधेयक 2020 पारित हो गया है। ये विधेयक आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज,दाल,तिलहन,खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक में कोई सीमा नहीं होगी । साथ ही संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। इस बिल में संसद सदस्यों के वेतन,भत्ता एवं पेशन अधिनियम 1954 में संशोधन होगा । बिल के प्रावधानों में सासंदों के वेतन में एक वर्ष तक 30 फीसदी कमी करने का प्रस्ताव है।